अजाक विभाग के जिला संयोजक निलंबित

रसोई कार्य करने वाली महिला का मानदेय बिना कारण दस माह से अधिक रोकने पर हुई कार्रवाई

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 9 अक्टूबर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जन विश्वास अभियान के सिलसिले में शुक्रवार को हरदा जिला पहुंचें. यहां उन्होंने समाधान ऑनलाइन में जनसमस्याओं के निराकरण की समीक्षा करते हुए पांच आवेदकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं.

इस दौरान कर्मचारियों के मानदेय भुगतान में अनावश्यक देरी और शिकायत के निराकरण में लापरवाही बरतना आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक को भारी पड़ा. सीएम ने जिला संयोजक प्रमोद माथुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए. समाधान ऑनलाइन के दौरान सामने आया कि रसोई कार्य करने वाले महिला कर्मचारी का मानदेय दस माह से अधिक समय से लंबित था. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संबंधित शिकायत के लंबित रहने का कारण पूछा. इस पर जिला संयोजक प्रमोद माथुर द्वारा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर मुख्यमंत्री ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए.उन्होंने कहा कि शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक विलंब और शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सीएम ने साफ किया कि आमजनों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए तथा अधिकारी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व के साथ कार्य करते हुए जमीनी स्तर पर पहुंचकर समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करें. शासन और प्रशासन जनता की सेवा के लिए हैं, इसलिए नागरिकों की शिकायतों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संदीप गौर से चर्चा कर कृषि यंत्रों पर सब्सिडी से संबंधित उनकी शिकायत सुनी. इसी प्रकार सतीश उइके की बिजली बिल से संबंधित समस्या पर चर्चा करते हुए महाप्रबंधक विद्युत विभाग को आवश्यक निर्देश दिए.

पुलिस विभाग से भी सीएम नाखुश

पुलिस विभाग से संबंधित 100 दिवस से अधिक समय से लंबित 27 शिकायतें सामने आने पर मुख्यमंत्री ने अप्रसन्नता व्यक्त की. उन्होंने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि वे स्वयं इन शिकायतों की समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि निराकरण में कहां और किस स्तर पर शिथिलता बरती जा रही है. लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए.

शिवपुर में 5 झोलाछाप क्लीनिक सील

नवभारत न्यूज़

नर्मदापुरम, 9 अक्टूबर. शिवपुर क्षेत्र में बिना वैध योग्यता और नियमों को ताक पर रखकर मरीजों का इलाज कर रहे झोलाछाप डॉक्टरों पर प्रशासन ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की.कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देश पर एसडीएम सिवनी मालवा विजय राय के मार्गदर्शन में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने पांच क्लीनिकों पर अचानक छापा मारा.

जांच में दो बंगाली डॉक्टर, दो बीएचएमएस और एक बीईएमएस डॉक्टर के क्लीनिक जांच के दायरे में आए. दो बंगाली डॉक्टर बिना किसी वैध मेडिकल डिग्री के क्लीनिक संचालित करते मिले. इनके यहां बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां बरामद हुईं. अंजन कुमार विश्वास के क्लीनिक की स्थिति और भी गंभीर मिली. यहां जंग लगे दंत चिकित्सा उपकरण, भारी गंदगी और बायोमेडिकल वेस्ट के निपटान में गंभीर लापरवाही सामने आई. कार्रवाई के बाद प्रशासन ने पांचों क्लीनिक सील कर दिए. स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

एक नजर में

चलती स्कॉर्पियो में धमाका, लगी भीषण आग

दमोह. दमोह-कटनी मार्ग पर शुक्रवार शाम कुम्हारी थाना क्षेत्र के टेढ़ा नाला के पास भोपाल से झारखंड जा रही स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई. वाहन में आग भड़कने से पहले धमाके जैसी आवाज सुनाई दी. खतरा भांपकर कार में सवार पांचों लोग तुरंत बाहर निकल आए. घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. स्कॉर्पियो क्रमांक जेएच 07 जी 9764 में रांची निवासी पांच लोग सवार थे. वे भोपाल में रिश्तेदार की तेरहवीं में शामिल होने के बाद शुक्रवार सुबह रांची के लिए रवाना हुए थे. रास्ते में अचानक वाहन के अगले हिस्से से आग की लपटें उठने लगीं. यात्रियों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई.

हाईटेंशन तार से टकराई प्रतिमा, 4 युवक झुलसे

खंडवा. बुरहानपुर से मां दुर्गा की प्रतिमा लेकर खंडवा आ रहे चार युवक हाईवे पर हादसे का शिकार हो गए. प्रतिमा ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन बिजली के तार के संपर्क में आ गई, जिससे उसमें भीषण आग लग गई. देखते ही देखते पूरी प्रतिमा जलकर खाक हो गई. हादसे में चारों युवक झुलसकर घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना की सूचना मिलते ही खंडवा विधायक कंचन मुकेश तनवे जिला अस्पताल पहुंचीं. उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और डॉक्टरों से उपचार की जानकारी ली. विधायक ने चिकित्सकों को घायलों का समुचित इलाज करने के निर्देश दिए.

जन आंदोलन की तैयारी में ओबीसी महासभा

सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, सरकार के आश्वसन पर अब भरोसा नहीं

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 9 अक्टूबर. मप्र में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण एवं 13 फीसदी होल्ड से जुड़े मामले में मप्र उच्च न्यायालय के हालिया फैसले से ओबीसी महासभा ने गहरी निराशा व्यक्त की है. संगठन का कहना है कि इस निर्णय से ओबीसी वर्ग के उन अभ्यर्थियों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है, जो वर्षों से अपने संवैधानिक अधिकार और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

ओबीसी महासभा ने साफ किया है कि संगठन इस फैसले को चुनौती देने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगा और ओबीसी वर्ग के अधिकारों के लिए प्रदेशव्यापी जनआंदोलन भी करेगा.

ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य और याचिकाकर्ता लोकेंद्र गुर्जर ने कहा कि वर्षों से 27 फीसदी आरक्षण का मुद्दा लंबित है और हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अनिश्चितता में है. अब ओबीसी वर्ग को केवल आश्वासनों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता. उन्होंने कहा कि अब हमें किसी भी सरकार के आश्वासन पर भरोसा नहीं है. ओबीसी वर्ग अपने अधिकारों की लड़ाई स्वयं लड़ेगा. हम न्यायालय में भी लड़ेंगे और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सड़क पर भी उतरेंगे. गुर्जर ने आगे कहा कि ओबीसी महासभा इस फैसले के विरुद्ध कानूनी विकल्पों का उपयोग करेगी और सर्वोच्च न्यायालय में अपील के माध्यम से न्याय की मांग करेगी.

जल्द घोषित होगी आंदोलन की तारीख

ओबीसी महासभा ने घोषणा की है कि प्रदेश में व्यापक आंदोलन आयोजित किया जाएगा. आंदोलन की तारीख और विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा शीघ्र की जाएगी. संगठन ने ओबीसी वर्ग के युवाओं, विद्यार्थियों, कर्मचारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सभी वर्गीय प्रतिनिधियों से एकजुट रहने की अपील की है. ओबीसी महासभा का संकल्प स्पष्ट है—कानूनी लड़ाई भी जारी रहेगी और लोकतांत्रिक आंदोलन भी. जब तक ओबीसी वर्ग के अधिकारों के लिए न्याय की लड़ाई निर्णायक मुकाम तक नहीं पहुंचती, संघर्ष थमेगा नहीं.

पिता-पुत्र ने 26 .21 लाख रुपये ठगे

भोपाल. सरकारी योजना के तहत बकरी पालन केंद्र खोलने के लिए एक-एक करोड़ रुपए का लोन और भारी सब्सिडी दिलाने का झांसा देकर सात लोगों से 26.21 लाख रुपए की कथित ठगी का मामला सामने आया है. शिकायत के आधार पर भोपाल के मिसरोद क्षेत्र में रहने वाले प्रमोद उर्फ आनंद परांते और उसके बेटे राहुल परांते के खिलाफ अशोकनगर जिले के पिपरई थाने में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है. शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने किसानों को बकरी पालन केंद्र का लाइसेंस और एक करोड़ रुपए तक का लोन दिलाने का आश्वासन दिया था. इस दौरान उनसे जमीन के खसरा, खतौनी और डायवर्सन सहित जरूरी दस्तावेज लिए गए.

प्रदेश में रेलवे परियोजनाओं का काम तेजी से होगा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 9 अक्टूबर. रेलवे परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा दिए गए प्रस्ताव अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर समन्वय समितियां गठित की गई हैं. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय रेलवे परियोजना समन्वय समिति भी गठित की गई है.

समितियों के गठन से राज्य में रेलवे की नई रेल लाईन, गेज कन्वर्जन, मल्टी-ट्रैकिंग, आरओबी, आरयूबी आदि परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग, वन स्वीकृति, विधि-व्यवस्था एवं अन्य संबंधित विषयों के समयबद्ध निराकरण के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रभावी समन्वय हो सकेगा. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय रेलवे परियोजना समन्वय समिति का गठन किया गया है. समिति की प्रत्येक छः माह में एक बैठक अथवा आवश्यकता अनुसार बैठक आयोजित की जाएगी. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार समिति में रेलवे के संबंधित महाप्रबंधक को समन्वयक एवं एजेंडा जारीकर्ता नामित किया गया है.

जिला स्तरीय रेलवे परियोजना समन्वय समिति

जिला स्तरीय रेलवे परियोजना समन्वय समिति का गठन कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया है. संभाग स्तरीय रेलवे परियोजना समन्वय समिति का गठन संभागायुक्त की अध्यक्षता में किया गया है.वहीं प्रमुख सचिव स्तरीय रेलवे समन्वय समिति का गठन प्रमुख सचिव लोक निर्माण की अध्यक्षता में किया गया है. समिति प्रत्येक तीन माह में एक बैठक आयोजित की जाएगी. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार समिति में रेलवे के संबंधित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) को समन्वयक एवं एजेंडा जारीकर्ता नामित किया गया है.

ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाकर रहेंगे

कांग्रेस ने कई गंभीर चूकों के साथ जल्दबाजी में बनाया कानून : खंडेलवाल

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 9 अक्टूबर. ओबीसी आरक्षण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अब भाजपा-कांग्रेस में आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है. इस मामले में अब कांग्रेस पूरी तरह हमलावर है और हाईकोर्ट के निर्णय के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराने में लगे हैं.

वहीं भाजपा ने बचाव करते हुए कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर मप्र उच्च न्यायालय के निर्णय को लेकर कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ लेने की जल्दबाजी में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का अध्यादेश जारी किया, लेकिन उसे मजबूत संवैधानिक एवं कानूनी आधार देने में गंभीर चूक की. अब कांग्रेस अपनी सरकार की गलतियों की जिम्मेदारी लेने के बजाय भाजपा सरकार पर आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है.

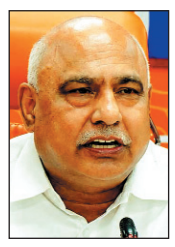

जिम्मेदारी से बचने के लिए दोषारोपण कर रही कांग्रेस

कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के हितों के नाम पर जल्दबाजी में निर्णय तो लिया, लेकिन कानून को न्यायिक कसौटी पर मजबूत बनाने के लिए आवश्यक तैयारी और सावधानी नहीं बरती. इसका परिणाम आज आरक्षण को लेकर पैदा हुई कानूनी अनिश्चितता के रूप में सामने आया है. खण्डेलवाल ने कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि यदि उसकी मंशा वास्तव में ओबीसी वर्ग को उसका अधिकार दिलाने की थी, तो उसने कानून बनाते समय पर्याप्त संवैधानिक आधार और प्रभावी कानूनी प्रावधान सुनिश्चित क्यों नहीं किए? कांग्रेस को अपनी सरकार की चूक का जवाब देना चाहिए, न कि अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए भाजपा पर दोषारोपण करना चाहिए.

नवरात्रि पर 14 जोड़ी ट्रेनों का मैहर पर अस्थायी ठहराव

भोपाल. नवरात्रि मेले के दौरान मैहर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन ने भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली 14 जोड़ी ट्रेनों को मैहर स्टेशन पर पांच मिनट का अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है. यह सुविधा 11 से 22 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित तिथियों के अनुसार मिलेगी. कुछ ट्रेनों का ठहराव 10 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगा. इस व्यवस्था के तहत लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा, चेन्नई-छपरा, वलसाड-मुजफ्फरपुर, कोल्हापुर-धनबाद, एलएलटी-रक्सौल, पुणे-गोरखपुर, पूर्णा-पटना, एलएलटी सहित 14 जोड़ी ट्रेनें शामिल हैं.

10 अधिकारियों की हुई नई पदस्थापना

- 18 अफसरों को वेतनमान को मिला लाभ
- टीआई से विवाद के बाद एसीपी को हटाया
- पुलिस सेवा के 7 अफसरों को सुपर टाइम स्केल

विशेष प्रतिनिधि

भोपाल, 9 अक्टूबर. राज्य शासन ने राज्य पुलिस सेवा के 10 उप पुलिस अधीक्षकों (डीएसपी) को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एडिशनल एसपी) रैंक पर पदोन्नत किया है.

गृह विभाग ने शुक्रवार को पदोन्नति आदेश जारी करने के साथ ही सभी अधिकारियों की नई पदस्थापना भी कर दी. इसके अलावा राज्य पुलिस सेवा के 7 अधिकारियों को सुपर टाइम स्केल और 11 अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान मंजूर किया गया है. गृह विभाग की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की अनुशंसा के बाद 2001 बैच तक के अजय प्रताप सिंह, घनश्याम मालवीय, इरमीन शाह, अरविंद दुबे, अमरेन्द्र सिंह, आशीष खरे और उमेश कुमार शर्मा को सुपर टाइम स्केल का लाभ दिया गया है. वहीं, 2006 बैच तक के परमिन्दर सिंह सैनी, नवीन कुमार चौधरी, अखिलेश सिंह रेनवाल, अभिषेक दीवान, डॉ. संजीव कुमार उईके, शिवकुमार सिंह, अंतर सिंह कनेश, नवल सिंह सिसोदिया, ज्योति ठाकुर, सुनीता रावत और बालमुकुंद शाक्य को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है.

प्रीतम सिंह बालरे को एसडीओपी निवास, मंडला से एआईजी, आईजी कार्यालय बालाघाट, मनोहर सिंह गवली को एसडीओपी मूंदी, खंडवा से एसपी, एजेके रेंज नर्मदापुरम और बाबूलाल वर्मा को डीएसपी रेडियो, भोपाल से एसपी रेडियो मुख्यालय, भोपाल पदस्थ किया गया है. रामशंकर सिलावट को डीएसपी एटीसी, पीएचक्यू से एआईजी पीएचक्यू, महेन्द्र रायपुरिया को सहायक सेनानी, पांचवीं बटालियन मुरैना से एआईजी विसबल, भोपाल और ऋतुराज गुप्ता व सत्येन्द्र वर्मा को डीएसपी पीएचक्यू से एडिशनल एसपी, क्यूडी, पीएचक्यू पदस्थ किया गया है.

15 अक्टूबर तक मनेगा डाक सप्ताह

भोपाल. मध्यप्रदेश डाक परिमंडल में 9 से 15 अक्टूबर तक डाक सप्ताह मनाया जा रहा है. इस दौरान डाक सेवाओं, वित्तीय समावेशन, डाक टिकट संग्रह, मेल-पार्सल और तकनीकी नवाचार से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. इस वर्ष विश्व डाक दिवस की थीम 'एक डाक नेटवर्क, अनंत संभावनाएं' रखी गई है. सप्ताह के तहत 12 को फिलेटली दिवस, 13 अक्टूबर को वित्तीय समावेशन दिवस, 14 अक्टूबर को मेल एवं पार्सल दिवस और 15 अक्टूबर को प्रौद्योगिकी एवं नवाचार दिवस मनाया जाएगा. इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों, युवाओं, व्यापारियों और आम नागरिकों को डाक विभाग की सेवाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा.

सवाल | सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में एसआईटी गठित करने की मांग

आबकारी घोटाले की जांच कराए सरकार

विशेष संवाददाता

भोपाल, 9 अक्टूबर . मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नाइट क्लब, रेस्टोरेंट और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े कथित एक हजार करोड़ रुपये के आबकारी घोटाले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.

उन्होंने कहा कि शराब ठेकों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. पटवारी ने राज्य सरकार को लिखे पत्र में जांच एजेंसियों के समक्ष आरोपी मोहित गोगिया द्वारा कथित तौर पर दिए गए बयानों का हवाला दिया. उनके अनुसार, गोगिया ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2024-25 के दौरान टेंडर जारी करने और शराब दुकानों के ठेकों के आवंटन के सिलसिले में पूर्व आईएएस अधिकारी सी.पी. रायचूरा और तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त टी.पी. रायचूरा को एक करोड़ रुपये दिए गए. इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है. पटवारी ने दावा किया कि गोगिया ने भोपाल के कुछ कारोबारियों के नाम भी लिए हैं, जिनके कथित संबंध वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनेताओं से बताए गए हैं. उन्होंने कहा कि इतने गंभीर आरोपों की जांच केवल सरकारी आश्वासनों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए.

ओबीसी आरक्षण पर पटवारी ने उठाए सवाल

भोपाल. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में प्रदेश सरकार पर कानूनी लड़ाई कमजोर करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से प्रदेश की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले ओबीसी समुदाय के अधिकारों को गंभीर झटका लगा है. पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार अदालत के समक्ष ओबीसी वर्ग की सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन से संबंधित पर्याप्त साक्ष्य प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में विफल रही. उन्होंने आरक्षण के पक्ष में अदालत में रखे गए कानूनी तर्कों और प्रस्तुत आंकड़ों का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की.

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

राजधानी में प्राइम लोकेशन पर

हाउसिंग बोर्ड का

प्लॉट खरीदने का सुनहरा अवसर

RERA No. : P-BPL-25-5410

ऑनलाइन ई-ऑफर सुविधा
www.mphousing.in
www.mponline.gov.in पर उपलब्ध

₹ भूखण्ड का अपसेट मूल्य ₹120.96 लाख से शुरू

"सैफायर पार्क सिटी"
80 फीट मुख्य मार्ग कटारा हिल्स पर
आवासीय भूखण्ड

लोकेशन के लिए स्कैन करें

भूखंडों का प्रकार	एच.आई.जी. (ए)	एच.आई.जी. (बी)	एच.आई.जी. (सी)
उपलब्ध भूखंडों की संख्या	06	49	02

नियम एवं शर्तें-
नियम एवं शर्तें :- 1. ऑफर स्वीकृत होने पर ऑफर मूल्य की संपत्ति की शेष राशि 3 किस्तों में भुगतान करने की विशेष सुविधा। 2. संपत्ति के ऑफर स्वीकृति उपरांत ऑफरकर्ता द्वारा ऑफर निरस्त कराने पर मण्डल नियमानुसार धरोहर राषि की 50% राशि जब्त कर ली जावेगी। 3. ऑफर प्रस्तुत करने के पूर्व स्थल/संपत्ति का अवलोकन कर लें। 4. समस्त कर एवं जी.एस.टी. शासन/मण्डल के नियमानुसार पृथक से देय होगा। 5. शासन /मण्डल द्वारा निर्धारित लीजरेंट एवं भूखण्डों के मूल्य का 5% कार्पस फंड पृथक से देय होगा। 6. मण्डल/शासन के नियम व शर्तें लागू। 7. भूखण्ड का आकार कम/अधिक होने पर अपसेट मूल्य के अनुपात में राशि देय होगी।
आवेदन शुल्क एवं धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि **04/11/2026**, ऑफर डालने की तिथि **05/11/2026 सायं 5.00 बजे तक**। ऑफर दिनांक **06/11/2026** को सायं 3.00 बजे Online खोले जावेंगे। आवेदन फार्म का मूल्य एवं धरोहर राशि Online Portal से जमा होगी। रजिस्टर्ड मोबाइल पर BID-ID प्राप्त होंगी। योजना की विस्तृत जानकारी **www.mphousing.in** पर उपलब्ध।

(एम.सी.घनघोरिया)
कार्यपालन यंत्री, संभाग-02, भोपाल

M.P. Madhyam/128502/2026

संपर्क सूत्र: मो. नं.- 9425148302, 9981619135, 9301302433, 9755705929

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा 3, इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, रामगोपाल माहेश्वरी मार्ग, महाराणा प्रताप नगर, जोन-1, भोपाल से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स से मुद्रित. संपादक संदीप चंसौरिया*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-4939198, ईमेल-bhopalnav@gmail.com RNI Reg. No. 35046/56 डाक पंजीयन क्रमांक M.P/B.P.L/711/2012-14